E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्याः–01 / भू0अ0नि0(05)क्षे0आ0(संविदा) गया–22 / 2022 4220 पटना, दिनांक 24/11/2022

आदेश

समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–3687 / रा0 दिनांक–10.09.2022 के द्वारा श्री सुमित कुमार, (Emp ID- SSA04655) नवनियोजित संविदा अमीन (अमानत / सर्वेयर) बन्दोवस्त कार्यालय, गया सम्प्रति प्रतिनियुक्त अंचल कार्यालय, टनकुप्पा, गया के द्वारा की गई कदाचारिता के विरूद्ध मुफ्फसिल थाना गया में प्राथमिकी संख्या–637 / 2022 दिनांक–24.08.2022 को दर्ज कराने की सूचना देते हुए इनके संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार से समाहर्त्ता, गया द्वारा प्रेषित सभी साक्ष्य / अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक–2810 दिनांक–10.10.2022 के द्वारा संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग 03 दिनों के अंदर की गई है। आरोपित का स्पष्टीकरण प्राप्त है।

समाहर्त्ता द्वारा प्रेषित साक्ष्य / अभिलेख के आलोक में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया है कि आरोपित पर आरोप है कि इनके द्वारा NH–2 को NH–82, गया–हिसुआ–राजगीर सड़क चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत मानपुर अंचल के राजस्व ग्राम–सलेमपुर, थाना नं0–319 में अर्जनाधीन खेसरा सं0–102 का मार्गरेखन के अनुसार संयुक्त रुप से मापी देने हेतु कॉन्फ्रेन्स कॉल के माध्यम से नाजायज राशि की मांग रैयतों से करने का साक्ष्य पेन ड्राईव के रूप में भू–अर्जन पदाधिकारी, गया के पास उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों द्वारा नाजायज राशि मांगने से संबंधित अपना आवेदन जिला पदाधिकारी, गया को दिया गया है। एतदसंबंधी खबर दैनिक सामाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' में दिनांक 26.07.2022 को प्रकाशित हुआ है।

आरोपित द्वारा अपने उपर लगाए गए आरोपों को गलत एवं बेबुनियाद बताते हुए किसी रैयत से लेन–देन एवं राशि की वसूली नहीं करने की बात स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कोई ऐसा नया तथ्य नहीं दिया गया है, जो भू–अर्जन पदाधिकारी, गया के प्रतिवेदन को खंडित करता हो।

समाहर्त्ता द्वारा प्रेषित अनुशंसा एवं साक्ष्य / अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा कदाचारिता का कार्य किया गया है। अतः **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 08 के (04)** में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सुमित कुमार, (Emp ID- SSA04655) अमीन (अमानत / सर्वेयर) का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 24/11/22
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः–01 / भू0अ0नि0(05)क्षे0आ0(संविदा) गया –22 / 2022 4220 **पटना, दिनांक** 24/11/2022

प्रतिलिपि :– श्री सुमित कुमार, (Emp ID- SSA04655), बन्दोबस्त कार्यालय, गया सम्प्रति प्रतिनियुक्त अंचल कार्यालय टनकुप्पा, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 24/11/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Kavita-Y-2022\Bablu Ji\Order\File No 22-2022-17-11-2022.doc

ज्ञापांक–01 / भू0अ0नि0(05)क्षे0आ0(संविदा) गया –22 / 2022...4220... **पटना, दिनांक** 24/11/2022

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः–01 / भू0अ0नि0(05)क्षे0आ0(संविदा)गया –22 / 2022...4220... **पटना, दिनांक** 24/11/2022

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया को उनके पत्रांक–3687 दिनांक–10.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः–01 / भू0अ0नि0(05)क्षे0आ0(संविदा) गया–22 / 2022...4220... **पटना, दिनांक** 24/11/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप